राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 171/2016/जोधपुर.

लूणकरण जैन पुत्र श्री बाबूलाल जैन
निवासी धनारीकलां, तहसील बावड़ी, जोधपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–पंचम, वृत–बी, जोधपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पी.एम.चौपड़ा, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री डी.पी.ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 19/04/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 1/आरवेट/जेयूबी/15–16 में पारित किये गये आदेश दिनांक 04.11.2015 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–पंचम, वृत–बी, जोधपुर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 12.03.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत–ई, जोधपुर (जिसे आगे **'जांच अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 05.02.2015 को ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान वाहन संख्या आर.जे.19/जीए–4208 की जांच की जाने पर वाहन में परिवहनित माल 215 बोरी अरण्डी पायी गयी, जिसे वाहन चालक भेराराम ने माल अपीलार्थी लूणकरण का होना बताया एवं माल गुजरात में पालनपुर ले जाना बताया। उक्त जांच में वाहन चालक ने माल से सम्बन्धित एक गिरदावरी रिपोर्ट की छायाप्रति भी प्रस्तुत की थी जिसमें अरण्डी 14 बीघा सिंचित होना बताया गया था। जांच अधिकारी द्वारा माल के दस्तावेज संदिग्ध मानते हुए एवं यह संदेह प्रकट करते हुए कि यह माल किसी किसान का न होकर किसी व्यापारी का है एवं उस व्यापारी द्वारा केवल किसानी दस्तावेज संलग्न किये गये है अतः वाहन को वेट अधिनियम की धारा 76(5)(ए) के तहत सत्यापन हेतु रोका गया एवं

लगातार.....2

दिनांक 06.02.2015 को श्री लूणकरण के भाई श्री शिवराज जैन के बयान लिये गये। दिनांक 09.02.2015 को श्री लूणकरण द्वारा धारा 76(5)(ए) में रोके गये वाहन में लदे हुए माल के सम्बन्ध में पत्र प्रस्तुत कर अरण्डी बोरी 215 स्वयं की सिंचित कृषि भूमि की पैदावार होना बताया एवं वह माल उनके द्वारा बिकने हेतु गुजरात भेजा जाना बताया एवं माल स्वयं की किसानी का होने से उसे छोड़ने का निवेदन किया। प्रार्थी ने कृषि उपज की गिरदावरी की प्रतियां भी पेश की परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माल का परिवहन बिना बिल्टी होने एवं प्रेषक प्रेषिति अघोषित होना मानते हुए एवं सिंचाई हेतु बिजली के बिल किसी अन्य काश्तकारों के पेश होने के आधार पर श्री लूणकरण जैन पर वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शस्ति रूपये 1,68,116/— एवं कर रूपये 16,812/— कुल मांग राशि रूपये 1,84,928/— आरोपित की गई जिससे व्यथित होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने अपील आदेश दिनांक 04.01.2015 के जरिये अस्वीकार कर दी।

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने अपने निर्णय के पृष्ठ संख्या 8 में यह अंकित करते हुए विवेचन किया है कि इस प्रकरण में मूल मुद्दा यह है कि परिवहनित माल अरण्डी अपीलार्थी श्री लूणकरण की सद्भावी काश्त एवं स्वयं की खुद काश्त की पैदावार है अथवा नहीं। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि श्री लूणकरण जैन ने परिवहनित माल स्वयं की काश्त का होने के प्रमाण के रूप में गिरदावरी की कॉपी प्रस्तुत कर दी थी जिसमें पटवारी ने खेत में अरण्डी पैदा होने की पुष्टि की थी जबकि कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी उस पैदावर को स्वयं के स्तर पर ही अन्य काश्तकार श्री बाबूलाल की मानते हुए इसे खारिज कर दिया जबकि इस सम्बन्ध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि परिवहनित माल बाबूलाल का था जबकि जांच के समय ही प्रथम बार में ही माल लूणकरण का बता दिया गया था।

4. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि परिवहनित माल के मालिक श्री लूणकरण के स्वामित्व का खेत लेबर कार्य कृषि करने हेतु श्री रामनिवास को हिजारे पर दिया गया था तथा रामनिवास ने उसे आगे बाबूलाल को 1/4 हिस्से में दिया हुआ था एवं इस तरह से कृषि उपज का एक विशेष भाग कृषि भूमि के मालिक को प्राप्त होता था एवं इसकी प्रमाणिकता गिरदावरी रिपोर्ट से सिद्ध थी परन्तु जांच अधिकारी, सक्षम अधिकारी व अपीलीय अधिकारी ने बिना किसी उचित आधार के माल लूणकरण की काश्त का नहीं होना बताते हुए

लगातार.....3

शास्ति के आरोपण को यथावत रखा गया है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने पत्रावली पर जांच अधिकारी एवं सक्षम अधिकारी द्वारा की गई जांच एवं उपलब्ध रेकॉर्ड के आधार पर ही यह कथन किया कि स्वयं रेकॉर्ड पर यह उपलब्ध है कि सभी हिजारे पर कार्यरत काश्तकारों द्वारा खसरा नं0 435 पर अरण्डी होना एवं अच्छी फसल होना बताया गया था एवं इस सम्बन्ध में अपना शपथपत्र भी श्री लूणकरण ने प्रस्तुत किया था परन्तु समस्त दस्तावेज एवं बयानों के बावजूद सक्षम अधिकारी द्वारा माल को लूणकरण का नहीं मानते हुए जो शास्ति आरोपित की है वह अनुचित, अविधिक एवं न्याय के विरूद्ध है।

5. विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि परिवहन के दौरान जांच हेतु आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर की अधिसूचना संख्या 2239 दिनांक 31.03.2011 की अनुसूची के स्तम्भ 4 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के पश्चात् ही जांच की जा सकती है जबकि अपीलीय अधिकारी ने अविधिक रूप से लिखित अनुमति की आवश्यकता नहीं होना बताया है। किसी अनुमति की लिखित आवश्यकता होने सम्बन्धी माननीय न्यायिक निर्णयों के भी दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये।

6. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि माल का परिवहन उचित किसानी दस्तावेजों के साथ किया गया था एवं प्रथम पूछताछ में ही यह प्रमाणित था एवं शास्ति का आरोपण भी लूणकरण पर ही किया है। अतः पारित आदेश अविधिक होने से अपास्त करने का निवेदन किया।

7. विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन किया एवं अपील खारिज करने का निवेदन किया।

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9. रेकॉर्ड के अवलोकन पर यह पाया गया कि सर्वप्रथम दिनांक 05.02.2015 को वाहन में परिवहनित माल की जांच पर वहनित माल प्रभारी श्री भेराराम द्वारा यह बयान किया गया था कि वह माल धनारीकलां से लूणकरण के गोदाम से भरकर पालनपुर बेचने के लिये ले जा रहा है एवं उस माल के समर्थन में गिरदावरी की फोटो प्रति प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली पर उपलब्ध है। इसके पश्चात् वाहन को आगे जांच हेतु निरूद्ध किया जाकर वहां माल मालिक को सत्यापन हेतु पेश करने का आदेश किया गया। उसके पश्चात् पत्रावली पर उपलब्ध अन्य व्यक्तियों से लिये गये बयान की जांच की गई जिसमें उनके

लगातार.....4

द्वारा उनकी काश्तकारी एवं माल की उपज के बारे में बयान दिये गये हैं परन्तु किसी भी बयान में यह प्रमाणित नहीं किया है कि श्री लूणकरण माल मालिक के पास कोई कृषि भूमि नहीं है या उनके द्वारा ऐसी कोई पैदावार नहीं की गयी है इस तरह मूल मुद्दा यह था कि माल का परिवहन एक कृषक जिसकी स्वयं की कृषि भूमि है और उस पर जो कृषि उपज हुई है उसका परिवहन गिरदावरी की रिपोर्ट के साथ किया जा रहा था या नहीं। इस सम्बन्ध में पत्रावली के पृष्ठ संख्या 44 पर श्री लूणकरण जैन का एक पत्र भी उपलब्ध है जिसमें परिवहनित माल के विवरण सहित कि यह माल श्री लूणकरण जैन स्वयं का है, बताया गया है जिसका कोई खण्डन किये जाने का कोई अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं है बल्कि जांच में यह सामने आया कि श्री लूणकरण की कृषि भूमि पर अन्य किसानों ने हिजारे पर माल की पैदावार की थी। जांच अधिकारी एवं सक्षम अधिकारी के पास ऐसे कोई साक्ष्य नहीं थे कि श्री लूणकरण द्वारा माल को एक व्यवसायी के रूप में खरीद बिक्री करके माल ले जाया जा रहा था। इसके अलावा रेकॉर्ड के पृष्ठ संख्या 54 पर श्री लूणकरण जैन का शपथपत्र भी उपलब्ध है जिसमें माल स्वयं की कृषि उपज अरण्डी का विक्रय करने हेतु माल भिजवाया जाना बताया गया। गिरदावरी की प्रति वाहन चालक को दिया जाना बताया गया तथा उन्होंने अपने शपथपत्र में यह भी बताया कि कृषि उपज के माल के साथ में किसी बिल्टी, चालान या कोई रेकॉर्ड की आवश्यकता नहीं है न ही किसी बिल की आवश्यकता है क्योंकि वह कोई व्यवसायी का माल नहीं था बल्कि किसानों का माल था एवं माल के समर्थन में गिरदावरी की रिपोर्ट संलग्न की गई थी। इस शपथपत्र में यह भी बताया गया कि श्री बाबूलाल काश्तकार के जो बयान लिये गये हैं उसे अंगुठे के रूप में प्रमाणित करवाया गया है जबकि उस व्यक्ति के एक किमी. की दूरी पर खेत के मालिक लूणकरण उपलब्ध थे परन्तु जानबूझकर हानि पहुंचाने के उद्देश्य से उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाना बताया गया था एवं पुनः यह कथन किया कि उनका स्वयं का खेत है तथा उनके खेत में काम करने वाले काश्तकार द्वारा कृषि उपज की गई है एवं उसी माल का परिवहन किया गया था इस सम्बन्ध में उनके द्वारा वर्षवार गिरदावरी रिपोर्ट एवं अन्य रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गयी थी। प्रकरण में यह निर्विवादित है कि माल का परिवहन करते समय वाहन चालक द्वारा किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं गया था एवं माल श्री लूणकरण जैन का होना बताते हुए गिरदावरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी एवं उस गिरदावरी रिपोर्ट को किसी भी जांच में झूठा सिद्ध नहीं किया गया है एवं पत्रावली पर प्रस्तुत

लगातार.....5

दस्तावेजों से श्री लूणकरण जैन का कृषक होना एवं कृषि उपज अरण्डी स्वयं की होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में धारा 76(2) का कोई उल्लंघन कारित नहीं किया गया था। हालांकि जांच अधिकारी, सक्षम अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी ने भी अलग–अलग टिप्पणी की है परन्तु कोई भी टिप्पणी परिवहनित माल के लूणकरण का नहीं होना प्रमाणित नहीं करती एवं यह भी प्रमाणित नहीं करती कि वह माल एक व्यवसायिक रूप से क्रय विक्रय होने की वजह से किसी बिल या बिल्टी की जरूरत थी। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी द्वारा जारी दस्तावेज श्री लूणकरण जैन का स्वयं का शपथपत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा भी श्री लूणकरण के नाम से जारी शास्ति आदेश यह प्रमाणित करते हैं कि माल लूणकरण का था जो प्रथम जांच पर ही घोषित किया हुआ था। ऐसी स्थिति में शास्ति का आरोपण किया जाना विधिविरूद्ध है। सक्षम अधिकारी के आदेश में जो मूल आधार दिया गया है उसमें माल का परिवहन प्रेषक प्रेषिति को अघोषित रखने, बिजली बिल अन्य काश्तकारों के पेश करने आदि बताये गये हैं जबकि इस सम्बन्ध में यह साक्ष्य एवं बयान दिये गये थे कि श्री लूणकरण जैन की कृषि भूमि को अन्य काश्तकारों को हिजारे पर देते हुए माल की उपज प्राप्त की गयी थी एवं इस तथ्य को खण्डित करने का कोई आधार नहीं है अतः आरोपित शास्ति एवं कर अपास्त किये जाते हैं।

10. फलतः सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश अपास्त करते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।

19/4/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य